

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-583
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बिहार में विद्युत की उपलब्धता

583. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में विद्युत की उपलब्धता के साथ-साथ विद्युत की मांग और आपूर्ति के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए विद्युतीकृत किए गए गांवों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 462 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 230 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण **अनुबंध-1** पर है।

ऊर्जा की आपूर्ति कुल मिलाकर ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप रही है। ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति के बीच मामूली अंतर आमतौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश भर में विद्युत की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन योजना:

- (i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित व्यस्ततम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग प्लान हैं और इनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपने संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजन की प्रक्रिया आरंभ करें।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है:
- (क) विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य के निमित्त 28,020 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है तथा वित्त वर्ष 2024-25 में 19,200 मेगावाट तापीय क्षमता के लिए अनुबंध दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 36,320 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता अभिचिन्हित की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।
- (ख) 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं, 8,000 मेगावाट पम्प भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं तथा 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं तथा इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (ग) 7,300 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
- (घ) 84,190 मेगावाट सौर, 26,200 मेगावाट पवन और 36,330 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 147,160 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 50,830 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 27,840 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 79,270 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (ङ) 522.60 मेगावाट क्षमता की छह (06) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 14,242.29 मेगावाट क्षमता की 45 बीईएसएस परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना :** अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. **वितरण प्रणाली योजना :**

(i) भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत वितरण यूटिलिटी के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(iii) भारत सरकार आरडीएसएस की मौजूदा स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छोटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी अभिचिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय घरों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के तहत अभिचिन्हित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत अभिचिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,97,680 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,535 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(iv) केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटों में क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे तक सुधार हुआ है।

4. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:**

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।

- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए, दिनांक 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिया गया है।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- (v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमों को लॉन्च किया गया है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की संस्थापना की योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता के निर्माण के लिए निधि मुहैया कराई गई है।
- (ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रेजेक्टरी और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यवसाय मॉडल का संकेत दिया गया है।
- (x) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

(xi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।

(ग) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के लिए बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के साथ-साथ विद्युत की मांग और आपूर्ति अनुपात का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

बिहार राज्य में, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत क्रमशः कुल 2,906 गांवों और 32,59,041 घरों का विद्युतीकरण किया गया।

आरडीएसएस के तहत, बिहार राज्य में ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 42,635 घरों को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें पीएम-जनमन के तहत अभिचिन्हित पीवीटीजी से संबंधित घरों के लिए संस्वीकृत कार्य भी शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2019-20	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	12,80,037	12,78,565	1472	0.1

बिहार में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति के साथ ही विद्युत की मांग और आपूर्ति अनुपात का विवरण

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	मांग और आपूर्ति अनुपात
	(एमयू)	(एमयू)	
2019-20	31,627	31,533	0.997
2020-21	34,171	34,018	0.996
2021-22	36,216	35,761	0.987
2022-23	39,545	38,762	0.980
2023-24	41,514	40,918	0.986
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	35,400	35,246	0.996
